उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या : /VII-A-2/2021/11(सिडकुल)/2021
देहरादून : दिनांक 25 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

चूंकि, प्रदेश में सिडकुल एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा निजी निवेशकर्ताओं/उद्योगपतियों/ठेकेदारों/रियायतियों/पट्टाधारकों/आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों के मध्य लम्बे समय से चल रहे वित्तीय विवादों के दृष्टिगत एक निपटान तंत्र (Conciliation Mechanism) की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि "Ease of Doing Business" की भावना के अनुकूल एवं प्रक्रियात्मक सरलीकरण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए **"माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996 (समय–समय पर यथासंशोधित)"** के प्रावधानों एवं नीति आयोग, भारत सरकार की संस्तुति के आलोक में, स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक सुलह समिति (CCIE) बना कर लम्बित वित्तीय विवादों का यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाय, ताकि प्रदेश में निवेश एवं विकास कार्यो/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निजी सहभागिता हेतु अनुकूल वातावरण सृजित हो सके;

अतएव श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में, नीति आयोग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 14070/14/2016–PPPAU, दिनांकित 05.09.2016 के साथ नीति आयोग के कार्यालय परिपत्र संख्या–N-14070/04/ 2021–PPPAU, दिनांक 20.07.2021 के द्वारा परिचालित स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सी.सी.आई.ई) के गठन एवं समिति की कार्य पद्धति के सम्बन्ध में ड्राफ्ट रिपोर्ट के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त संलग्नानुसार "उत्तराखंड के सरकारी संस्थाओं की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों/उद्योगपतियों/ठेकेदारों/रियायतियों/ पट्टाधारकों/ आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों आदि के साथ विवादों के सुलह एवं समाधान हेतु व्यवस्था" बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्न : यथोक्त।

(डॉ. एस. एस. सन्धु)
मुख्य सचिव।

संख्याः 1369 (1)/VII–A–2/2021/11–सिडकुल/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख निजी सचिव, मा. मंत्रीगण उत्तराखण्ड को मा. मंत्रीगण के संज्ञानार्थ।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, उद्योग निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर को राज्य सरकार की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप का मुद्रण राजकीय राजपत्र में शीघ्र करते हुए उसकी पर्याप्त प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1269 दिनांक 25/10/21 का संलग्नक)

औद्योगिक विकास अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) का गठन

विषय : उत्तराखंड के सरकारी संस्थाओं की परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों/उद्योगपतियों/ठेकेदारों/रियायतियों/पट्टा–धारकों/आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों आदि के साथ विवादों के सुलह एवं समाधान हेतु व्यवस्था।

1. परिभाषाएं :

(क) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड की सरकार/शासन अभिप्रेत है;

(ख) 'सरकारी संस्था' से उत्तराखंड सरकार के सभी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/परिषद/निगम/अन्य संस्थायें, अभिप्रेत है;

(ग) 'विकासकर्ता' से सभी निवेशक/उद्योगपति/व्यवसायी/ठेकेदार/रियायती/पट्टाधारक/ सलाहकार आदि, जो सरकारी संस्थाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं/सेवाओं को संपादित/ निष्पादित करने में संलग्न हैं, अभिप्रेत है;

(घ) 'सी.सी.आई.सी.',से उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की जाने वाली स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति अभिप्रेत है;

(ङ) 'परियोजनायें' से सरकारी संस्था द्वारा निष्पादित सभी निर्माण अनुबंध/ईपीसी अनुबंध/ सार्वजनिक निजी भागीदारी/सेवा/आपूर्ति अनुबंध अभिप्रेत है;

(च) 'नोडल विभाग' से निदेशक, उद्योग (निदेशालय), उत्तराखंड शासन, अभिप्रेत है;

(छ) 'नोडल अधिकारी' से प्रत्येक सरकारी संस्था द्वारा विकासकर्ता और सुलह समिति के साथ संवाद करने के लिए घोषित किया गया अधिकारी, अभिप्रेत है;

(ज) 'सक्षम प्राधिकारी' से मुख्यमंत्री/मंत्री/सचिव/विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, अभिप्रेत है;

(झ) 'सुलह के लिए सहमति' से अधिनियम और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार सुलह के लिए सरकारी संस्था और विकासकर्ताद्वारा अनुमोदित स्वतः सहमति, अभिप्रेत है;

(ट) 'समाधान' से सीसीआईई के समक्ष विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा आपसी सहमति से नियत नियम और शर्तें अभिप्रेत है;

(ठ) 'अधिनियम' से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है।

2. उद्देश्य :

राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक सुविकसित बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण कारक है। विगत वर्षों में सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया गया है। इन सरकारी संस्थाओं के द्वारा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकासकर्ताओं के साथ समझौते किए गए हैं, जिनमें सरकारी संस्थाओं और विकासकर्ताओं के बीच विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। लंबित विवादों और दावों की समस्या ने गंभीर रूप धारण करते हुए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के साथ–साथ परियोजनाओं की व्यवहार्यता को भी प्रभावित किया है।

अतः, उत्तराखंड शासन द्वारा व्यापार में आसानी और रोजगार सृजन के लिए "निवेशक अनुकूल वातावरण" विकसित करने के निमित्त सरकारी संस्थाओं और विकासकर्ताओं के मध्य विवादों के सुलह और समाधान हेतु 'स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया है।

उदाहरण :

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक निगम लि0 (सिडकुल) द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न प्रकार से कियान्वयन हेतु (आइटम की दर, संयुक्त उद्यम, ईपीसी, आदि)राज्य की ओर से विकासकर्ता के साथ विभिन्न अनुबंध/समझौते किए गए हैं। इन अनुबंधों/समझौतों के अंतर्गत कई विवाद उत्पन्न हुए हैं जिनमें न केवल अत्यधिक कानूनी व्यय शामिल हैं, बल्कि इन विवादों में शामिल दोनों पक्षों के बहुमूल्य मानव और प्राकृतिक संसाधनों का भी व्यपवर्तन हो रहा है। वर्तमान में, विभिन्न माध्यरथम् अधिकरणों को 11 प्रकरण सन्दर्भित किए गए हैं, जिनमें कुल दावा राशि रू. 485 करोड़ निहित है। विवादों का शीघ्र और अदालत के बाहर समाधान सभी हितधारकों और राज्य की प्रगति के हित में है।

3. पृष्ठभूमि :

3.1 नीति आयोग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 14070/1412016–पीपीपीएयू दिनांक 05.09.2016 के द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा "निर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार के उपायों पर पहल" शीर्षक के साथ लिये गये निर्णय को सभी सम्बन्धितों/विभागों/मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भेज कर उसमें निहित पहलों पर शीघ्र विचार करने और उनके कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है। इन पहलों में, लंबित या नए मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए 'स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति' की नियुक्ति के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विवादों के समाधान की एक प्रणाली को स्थापित करना भी सम्मिलित है।

3.2 नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0 एन0 14070/04/2021–पी.पी.पी.ए.यू. दिनांकित 20 जुलाई, 2021 (ड्राफ्ट रिपोर्ट) द्वारा समाधान तंत्र की स्थापना तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.3 उत्तराखंड शासन द्वारा नीति आयोग के द्वारा निर्गत विवादों के समाधान हेतु तंत्र स्थापना एवं प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देशों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित उत्तराखंड राज्य की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सीसीआईई को सन्दर्भित किया जा सकता है।

4. स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति :

4.1 सीसीआईई में सामान्यतया 3 सदस्य होंगे।

4.2 समिति के सदस्यों का नामांकन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जायेगा एवं सुलह हेतु इच्छुक सम्बन्धित विकासकर्ता/अन्य पक्षकार की उपरोक्त सुलह समिति पर सहमति प्राप्त की जायेगी। जिन विकासकर्ता/अन्य पक्षकार के द्वारा सुलह समिति पर सहमति दी गयी है तो यह सहमति माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996(समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 63 एवं 64 के अन्तर्गत सहमति समझी जायेगी।

4.3 सदस्यों का कार्यकाल एवं नियुक्ति की शर्ते वह होंगी जैसा कि उनके नियुक्ति ओदश में उल्लिखित हो।

4.4 सी.सी.आई.ई से सम्बन्धित व्यापाक 'नियम एवं शर्ते' तथा कार्यक्षेत्र (T&R) अनुलंग्नक–1 में होगी। तदनुसार विकसित की गयी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को सुलह की कार्यवाही में लागू माना जायेगा।

4.5 उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन सीसीआईई के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा जोकि सुलह समिति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, सचिवालयी सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। ऐसी व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा छमाही आधार पर की जाएगी।

5. सीसीआईई की कार्यप्रणाली :

5.1 सुलह प्रक्रिया, 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित)' के भाग–III के अधीन संचालित की जाएगी।

5.2 सीसीआईई, उत्तराखंड सरकार द्वारा **अनुलग्नक–2** में यथानिर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार संचालित होगी।

5.3 समिति की किसी भी कार्यवाही के दौरान सदस्यों में से किसी एक के उपलब्ध न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, अन्य दो सदस्यों वाली समिति मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए सक्षम होगी और समिति की कार्यवाही दूषित नहीं मानी जायेगी यदि तीन सदस्यों में से एक समिति के विमर्श में उपस्थित नही हैं। तथापि, दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, सभी 3 सुलहकर्ता इसे प्रमाणित करेंगे और ऐसा समझौता दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

5.4 स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) या तो पक्षों के बीच विवाद (विवादों) को सुलझाने और निपटाने में सफल होगी या फिर यह प्रक्रिया विफल हो सकती है। सीसीआईई के स्तर पर सुलह प्रक्रिया की विफलता की स्थिति में, पक्षकार सुलह प्रक्रिया से हट सकते है और मध्यस्थता/न्यायालयों की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकता है। सुलह की कार्यवाही सफल होने की स्थिति में, विवाद के पक्ष लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और सुलहकर्ता इसे प्रमाणित करेंगे। ऐसा समझौता 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996(समय–समय पर यथासंशोधित)' की धारा 73 के संदर्भ में पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

6. माध्यस्थम् अधिकरणों, न्यायालयों के समक्ष पहले से लंबित मामलों में प्रक्रिया :

6.1 माध्यस्थम् अधिकरणों या न्यायालयों के समक्ष लंबित विवादों के मामलों में, सरकारी संस्था द्वारा विकासकर्ता को अथवा विपरीततः, **अनुलग्नक–3** में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार आगे आने और सुलह समिति के माध्यम से सुलह की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रस्ताव दिया जायेगा। सरकारी संस्था तथा विकासकर्ता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुलह समिति को **अनुलग्नक–4** के अनुसार संयुक्त सन्दर्भ प्रस्तुत करेंगे जिस पर समिति ऐसे संदर्भ (संदर्भों) की जांच प्रारम्भ करेगी। जब भी पक्षकार सुलह समिति से समाधान हेतु सहमत होते हैं, वे सम्बंधित माध्यस्थम् अधिकरणों/न्यायलयों के समक्ष लंबित कार्यवाही को स्थगित रखने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

6.2 समाधान हो जाने की स्थिति में पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय/मध्यस्थता प्रक्रिया से 30 दिनों के भीतर मामला वापस लिया जायेगा।

7. स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) की सिफारिशों पर नोडल विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई :

7.1 सरकारी संस्था और विकासकर्ता सीसीआईई के सिफारिशों/निर्णयों का सम्मान और क्रियान्वयन करेंगे।

7.2 सीसीआईई की सिफारिश/निर्णय प्राप्त होने पर नोडल विभाग द्वारा 7 कार्य दिवसों के भीतर, सरकारी संस्था और विकासकर्ता को विवाद, दावा राशि, निपटान राशि आदि के संक्षिप्त विवरण सहित सूचित किया जायेगा।

7.3 सरकारी संस्था और विकासकर्ता द्वारा सीसीआईई के निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जायेगी।

7.4 सरकारी संस्था और विकासकर्ता द्वारा निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करने और माध्यस्थम् अधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले को यथासंभव 30 दिन के भीतर वापस लेने, यथा लागू, आदि दायित्वों को पूर्ण करने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। निपटान के अनुसार एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय भुगतान/वचनबद्धता की पूर्ति, निपटान तिथि से 30 दिनों (अथवा परस्पर सहमति की अवधि) के भीतर सम्बन्धित पक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उत्तराखंड सरकार द्वारा यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया गया है और यदि विकासकर्ता इस प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए सहमत नहीं हैं या कोई संकोच है, तो कोई बाध्यता नहीं है और उन्हें अन्य संगत कानूनी अनुतोष प्राप्त करने की स्वतंत्रता है।

(डॉ. एस. एस. सन्धु)
मुख्य सचिव।

अनुलग्नक : 1

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के सामान्य नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions) तथा कार्यक्षेत्र (Terms of Reference):

1. तीन सदस्यीय सीसीआईई का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2. सदस्यों का कार्यकाल एवं नियुक्ति की शर्तें वह होंगी जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हो।
3. सुलह प्रक्रिया,' माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित)' के भाग III 'के तहत निष्पादित की जायेंगी।
4. सीसीआईई के एक सदस्य को कार्यवाही के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 25000/– मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा।
5. सुलह समिति द्वारा अपनी पहली बैठक में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को निर्धारित किया जा सकेगा।
6. सीसीआईई द्वारा देहरादून में एक उपयुक्त स्थान पर अपनी दैनिक बैठकें आयोजित की जायेंगी और कार्य की अधिकता/व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए हर महीने जितनी उचित समझे, उतनी बैठकें आयोजित की जायेंगी। यह अपेक्षित है कि सुलह–सह–निपटान की कार्यवाही प्रत्येक मामले में 5 बैठकों के माध्यम से, किन्तु सीसीआईई को संदर्भ प्राप्त होने के दिन (संयुक्त सहमति पत्र प्राप्त करने की तिथि) से जो तीन महीने से अधिक नहीं होगी, की अवधि में पूरी की जायेगी। असाधारण मामले में, यदि किसी विशेष विवाद के लिए 5 से अधिक बैठकों की आवश्यकता होती है, तो समिति के विवेक पर केवल 7 बैठकों के लिए मानदेय के भुगतान के प्रतिबंधाधीन यथासम्भव न्यूनतम अतिरिक्त समय के साथ ऐसी बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।
7. सीसीआईई द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग से सौहार्दपूर्ण समाधान पर अपनी सिफारिशें दी जा सकती है।
8. सीसीआईई द्वारा संदर्भित मामलों के निस्तारण के लिए अपनी कार्यपद्धति/प्रक्रिया विकसित की जा सकती है। पक्षकारों को स्पष्टता हेतु यह उल्लेखनीय है कि सीसीआईई की प्रक्रिया वैकल्पिक मध्यस्थता कार्यवाही के रूप में नहीं है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावों/बचाव, तर्कों, प्रत्युत्तरों, लिखित निवेदनों आदि के साथ आते हैं। सीसीआईई का मंच एक समझौता मंच है, जहां पक्षकारों के मध्य कानूनी द्वन्द के बजाय आपसी समझदारी आधारित आदान–प्रदान की भावना महत्वपूर्ण होती है, इसलिए पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे अपने–अपने रुख के संबंध में सीसीआईई के समक्ष संक्षिप्त में तथा सुलह/निपटान की भावना से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
9. सुलह कार्यवाहियों के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, सुलह समिति द्वारा राज्य सरकार या उसकी संस्थाओं को अपने अनुबंध प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए समय–समय पर सलाह/सुझाव दिया जा सकता है।

अनुलग्नक : 2

सुलह के लिए स्थायी संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) :

सीसीआईई द्वारा परियोजनाओं में विवादों के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

1. सुलह की प्रक्रिया 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित)' की धारा 61 से 81 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।

2. **अधिनियम की धारा 62 के अनुसार सुलह की कार्यवाही का प्रारंभ :**

(क) सीसीआईई के माध्यम से सुलह के लिए सहमति देते हुए, विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक पत्र (अनुलग्नक–4)।

(ख) विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा सुलह के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों/विवादों का संक्षिप्त विवरण।

3. **विकासकर्ता एवं सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व :**

(क) **सरकारी संस्था :** सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधितः अधिकृत प्रतिनिधि ।

(ख) **विकासकर्ता :** सुलह समझौते में जाने के लिए विधितः विकासकर्ता द्वारा पारित प्रस्ताव और पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अधिकृत वरिष्ठ कार्यकारी या नियमित कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जायेगा। ऐसे प्रतिनिधि को विकासकर्ता के संकल्प और मुख्तारनामा की प्रति सुलह समिति की पहली बैठक में या उससे पूर्व प्रस्तुत करना होगा **(अनुलग्नक–5 और 6)**।

<u>पक्षों को सुलह प्रक्रिया के दौरान कानूनी पेशेवर को नियुक्त करने की अनुमति नहीं होगी।</u>

4. सीसीआईई की पहली बैठक से पहले पक्षकार माध्यस्थम् अधिकरण/न्यायालय, यदि कोई हो, को उनके द्वारा सुलह प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सूचित कर सकते हैं।

5. **पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (प्रतीकात्मक, सीमित नहीं) :–**

(क) अनुबंध/रियायत समझौते की प्रति।

(ख) दावे (दावों) का विवरण और प्रतिरक्षा(ओं) का विवरण।

(ग) माध्यथम् पंचाट (आर्बिट्रल अवार्ड), माननीय न्यायालय के समक्ष दायर विवरण, न्यायालय द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति।

6. सीसीआईई द्वारा शीघ्रातिशीघ्र एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जायेगा। सीसीआईई द्वारा त्वरित निस्तारण हेतु जल्दी–जल्दी बैठकें की जायेंगी।

7. सीसीआईई, अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, जहाँ आवश्यक हो, दोनों पक्षों को समाधान की संभावित शर्तों के बारे में संस्तुति करेगी।

8. सहायता (अधिनियम की धारा–68 के तहत): सुलह समिति को ऐसी विशेषज्ञ तकनीकी और सचिवालयी सहायता प्रदान की जायेगी जैसा समिति द्वारा दक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु अपेक्षित हो। नोडल विभाग द्वारा समिति की संतुष्टि के अनुरूप इसकी व्यवस्था की जायेगी।

9. **सुलह की लागत एवं जमा :**

9.1 नोडल विभाग, प्रथम दृष्टया, सुलह की कार्यवाही पर होने वाला सभी व्यय वहन करेगा जिसमें सुलहकर्ताओं को मानदेय का भुगतान, कार्यालय स्थान का प्रावधान, समर्पित विशेषज्ञ एवं सचिवालयी सहायता, और अन्य अनुषंगिक व्यय शामिल हैं। अन्य पक्ष (विकासकर्ता) द्वारा सुलह की

कार्यवाही शुरू करने के लिए नोडल विभाग में, यथासंभव अग्रिम रूप से, ₹ 3.00 लाख की राशि जमा की जायेगी।

9.2 नोडल विभाग द्वारा सुलह समिति की ओर से सुलह कार्यवाहियों पर हुए व्यय का लेखा–जोखा रखा जायेगा। सुलह की कार्यवाही समाप्त होने पर, नोडल विभाग सुलह की लागत का लेखा–जोखा सुलह समिति को प्रस्तुत करेगा, जिसे अंततः सुलह समिति के निर्देशों के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजित किया जाएगा।

10. <u>**अवशिष्ट मामले**</u> : सीसीआईई इस प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव के आधार पर समय–समय पर इस एसओपी की समीक्षा सहित किसी भी अवशिष्ट मामलें के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में निर्णय ले सकता है। कोई भी परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

अनुलग्नक : 3

विभाग की परियोजनाओं में उत्पन्न विवादों के विवरण के साथ विकासकर्ताओं को भेजा जाने वाला पत्र।

संख्या :

तिथि :

विषयः ....विभाग, उत्तराखंड सरकार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सुलह समिति (सीसीआईई) की स्थापना।

प्रिय महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी संस्था और विकासकर्ता के बीच किसी भी संविदात्मक विवाद के समाधान के लिए प्रकरण सीसीआईई को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया है।

1. सुलह प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के समाधान और मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए सीसीआईई के गठन एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) से सम्बन्धित प्रारूप संलग्न है। यह ज्ञातव्य है कि सीसीआईई का विस्तार माध्यथम् प्रकिया से पूर्व, उसके दौरान या पश्चात् के विवादों में व्याप्त है।
2. सरकारी संस्था सभी संबंधित मामलों में जिसमें मा0 न्यायालयों के समक्ष इसके द्वारा माध्यस्थम् पंचाट को चुनौती दी गयी है, को सीसीआईई द्वारा समाधान हेतु लिए जाने वाले समय तक, अपनी सहमति से स्थगित करने के लिए मा0 न्यायालय से उचित अनुरोध करने को तैयार है, यदि आप इससे सहमत हैं।
3. यदि आप वर्तमान में माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत लंबित विवादों को उक्त समिति को संदर्भित करने के लिए सहमत हैं, तो आप इस सुलह तंत्र का सहारा ले सकते हैं और माध्यस्थम् अधिकरण से यह अनुरोध कर सकते हैं कि जब तक कि सीसीआईई उक्त विवाद (विवादों) पर विचार करती है, तब तक निपटान की कार्यवाही को स्थगित रखने पर विचार किया जाए।
4. कृपया ध्यान दें कि सीसीआईई को विवाद (विवादों) को संदर्भित करने के लिए अपनी सहमति/इच्छा देकर, आप सुलह प्रक्रिया हेतु, विशेष रूप से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 63 और 64 में निहित प्रावधानों के लिए, अपनी स्वीकृति की भी पुष्टि कर रहे हैं और यह अधिनियम के तहत ''सुलह'' की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
5. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में विभाग के निम्नलिखित पते पर अपनी सहमति/इच्छा सूचित करने का कष्ट करें।

पता :
ई–मेल :
संपर्क नंबर :

भवदीय,

(विभाग के नोडल अधिकारी)

अनुलग्नक : 4

सीसीआईई को सहमति पत्र (सुलह के लिए सहमति हेतु दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित)

माननीय स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के समक्ष।

विषयः .... (परियोजना का नाम) से संबंधित विवादों/दावों के निपटारे का प्रस्ताव

राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या .... दिनांक .... के अनुसार इंगित विषय ....(परियोजना का नाम) से सम्बन्धित विभिन्न विवादों/मुद्दों के समाधान के लिए प्राप्त सहमति के आधार पर दोनों पक्ष माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित) के भाग–III (समाधान) अनुसार सुलह के लिए सहमत हुए हैं। सुलह के लिए पक्षकारों की यह सहमति सीसीआईई द्वारा अंगीकृत कार्यप्रणाली/मानक संचालन प्रक्रियाओं के प्रति भी सहमति है, जैसा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में स्पष्ट किया गया है।

विकासकर्ता **सरकारी संस्था**

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

संपर्क विवरण :

अनुलग्नक : 5
बोर्ड संकल्प के लिए प्रारूप

.... (विकासकर्ता का नाम) के निदेशक मंडल/न्यासी/सोसाईटी/अधिकृत पार्टनर/व्यक्ति (जिसे आगे 'अधिकारी' कहा गया है) द्वारा................(स्थान) में दिनांक .... को आयोजित बैठक में पारित संकल्प की सत्यापित प्रति।

''संकल्प किया गया कि श्री ....(नाम एवं पदनाम) (इसके बाद 'अधिकृत हस्ताक्षरी' के रूप में संदर्भित), जो कि ....के निवासी हैं, एतदद्यारा स्वतंत्र विशेपज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के समक्ष उपस्थित होने, प्रतिनिधित्व करने और सुलह समझौता निष्पादित करने के लिए विकासकर्ता...की ओर से विकासकर्ता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने और पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करेंगे।''

परियोजना का नामः

इस अभिलेख द्वारा सभी सूचित होवें कि हमारा ....(विकासकर्ता का नाम), जिनका पता .... है, का प्रतिनिधित्व .... (नाम व पदनाम जिसे आगे 'वरिष्ठ अधिकारी' कहा गया है) श्री .... द्वारा किया जायेगा।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि विकासकर्ता की सहमति से श्री .... को विकासकर्ता की ओर से .... (अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम/पदनाम) के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित/प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

आगे संकल्प किया गया कि उक्त मुख्तारनामा पर विकासकर्ता के .... द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

नमूना हस्ताक्षर 1.

2.

3.

द्वारा प्रमाणित

....

हस्ताक्षर (वरिष्ठ अधिकारी)

अनुलग्नक : 6

मुख्तारनामा के लिए प्रारूप :

मुख्तारनामा

इस अभिलेख द्वारा सभी सूचित होंवे कि हम.., (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय/पत्राचार पता (बाद में 'पता' के रूप में सन्दर्भित).. .... में है, के प्रतिनिधि श्री .... पुत्र श्री..., जो वर्तमान में .... में निवास कर रहे हैं, को हमारे द्वारा नियोजित किया गया है और अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में हमारे सच्चे और वैध कानूनी प्रतिनिधि हैं (आगे "एटॉर्नी" के रूप में संदर्भित) और इस रूप में .... (परियोजना का नाम) जिसे......................... (सरकारी संस्था का नाम), द्वारा प्रस्तावित/विकसित किया जा रहा है, के सम्बन्ध में सी.सी.आईई के समक्ष गतिमान सभी मामलों में हमारी ओर से उपस्थित होने, पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत/अभिलिखित करने, हमारा प्रतिनिधित्व करने, सुलह समझौते सहित सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित/निष्पादित करने तथा सुलह की कार्यवाही से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में सरकारी संस्था से संव्यवहार करने हेतु अधिकृत होंगे।

और, हम एतदद्वारा अनुसमर्थन और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं तथा इस मुख्तारनामा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए या किए जाने वाले सभी कार्यों, समझौता और कार्यवाही का अनुसमर्थन और पुष्टि करते हैं; और यह हमें स्वीकार है कि हमारे उक्त अटार्नी द्वारा एतदद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए सभी कार्य, समझौता और कार्यवाही हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे।

हम, ... (विकासकर्ता का नाम), ने दिनांक...................को निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में इस मुख्तारनामा को निष्पादित किया है।

द्वारा.. (विकासकर्ता का नाम)

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ अधिकारी

गवाहः

1.

2.

स्वीकृत

(हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और पता

मेरे समक्षः
नोटरी का नाम और पता